संख्या-179/2024/3512/22-2-2023-17(1383)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2024*

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीपत पुत्र स्व0 बृजलाल, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीपत पुत्र स्व0 बृजलाल, धगरहवा उर्फ हजरतपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-महराजगंज का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.1985 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, लाठी, कुल्हाड़ी व देशी गन से गोली मारकर 02 व्यक्तियों को घायल करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-309/1988 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय सहायक सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 11.06.1991 द्वारा 05 वर्ष के कटोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.04.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.08.2021 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 25.06.2023 तक 02 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की दिनांक 25.06.2023 तक अपरिहार 02 वर्ष 06 माह 26 दिन की भोगी गयी सजा (जेल रिपोर्ट के अनुसार) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीपत (बन्दी संख्या-45/2021) पुत्र स्व0 बृजलाल, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-179/2024/3512(1)/22-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन सं0-1939/2024 श्रीपत यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in